

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. :: 83/2017

सरकार बनाम अतरसिंह पुत्र रामसिंह, जाति-जाट,
निवासी- उरीका, हाल वार्ड नं. 2
सूरजगढ़

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 31.07.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल अतरसिंह पुत्र रामसिंह, जाति-जाट, निवासी- उरीका, हाल वार्ड नं. 2, सूरजगढ़ द्वारा रोही मौजा पन्नेसिंहपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 33 कुल रकबा 0.33 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 250 वर्गमीटर भूमि पर पड़त कब्जा कर अपने खेत में मिलाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि रास्ता खुला है। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं... 27 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये... 81 कायम कि।

राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़